



वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

F. No. E-FNC/225/2022-EF/07448

Date: 27.05.2025

CORRIGENDUM

विषय : सीपज़ एसईजेड में भवनों और भूखंडों के लिए विविध अनुमति शुल्क का मानकीकरण।
Sub: Standardization of Miscellaneous permissions charges for buildings and plots in SEEPZ SEZ.

सीपज़ एसईजेड में भवनों और भूखंडों के लिए विविध अनुमति शुल्क के मानकीकरण के संबंध में परिपत्र संख्या 08 दिनांक 14.05.2025 के आंशिक संशोधन में, अस्थायी मानसून शेड की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:

In partial modification of Circular no. 08 dated 14.05.2025, regarding standardization of Miscellaneous permissions charges for buildings and plots in SEEPZ SEZ, **the following amendment is hereby made in respect of Installation of Temporary monsoon shed :**

के लिए:

अस्थायी मानसून शेड की स्थापना: ₹ 100/- प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष।

FOR:

Installation of Temporary Monsoon shed: ₹ 100/- per sq. mtr. Per annum.

पढ़ना:

अस्थायी मानसून शेड की स्थापना: ₹ 100/- प्रति वर्ग मीटर प्रति माह।

READ as:

Installation of Temporary Monsoon shed: ₹ 100/- per sq. mtr. Per month.

परिपत्र संख्या 08 दिनांक 14.05.2025 के संशोधित सभी अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
All other terms and conditions of Circular no. 08 dated 14.05.2025 as amended would remain unchanged.


(मितल एस. हिरेमठ)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीपज़ -सेज़

प्रतिलिपि,

1. सभी यूनिटधारक सीप्ले सेप्ले
2. कार्यालय आदेश फ़ाइल
3. कार्यालय आदेश रजिस्टर